रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 1994/अग्रहायण 8, 1916
No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 1994/AGRAHAYANA 8, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचना

सं. प्रतिअदायगी पी एन-10/94-प्र.अ.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1994

फा.सं. 609/101/94 प्र.अ./फा.सं. 600/2704/94-प्र.अ.—भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 1 के खण्ड (1) में प्रकाशित सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971(अधिसूचना सं. 52 फा.सं. 602/2/70 प्र.अ.) के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 31 मई, 1994 की सार्वजनिक सूचना संख्या प्रतिअदायगी पी एन-1/94 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :

1. उपक्रमांक संख्या 2704 के सामने "प्रतिअदायगी की दर" स्तंभ के अन्तर्गत अंक और शब्द "पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5%(केवल पांच प्रतिशत)" के स्थान पर

अंक और शब्द प्रति नग पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5% (साढ़े सात प्रतिशत) जो 10.80 रु. (केवल दस रुपये अस्सी पैसे) से अधिक न हो प्रतिस्थापित किये जायेंगे और विनिधान स्तंभ के अन्तर्गत अंक 2% (सी.शु.) और 3% (के.उ.शु.) के स्थान पर अंक "2% (सी.शु.) और 5.5% (के.शु.)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

2. उपक्रमांक संख्या 2704 की टिप्पणी (2) के अन्तर्गत "पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का (संपूर्ण के.उ.शु.) 3% (केवल तीन प्रतिशत)" अंकों और शब्दों के स्थान पर "पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का (संपूर्ण के.उ.शु.) 5.5% (केवल साढ़े पांच प्रतिशत)" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

ए.के. मदान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

PUBLIC NOTICE NO. DRAWBACK PN-10/94-DBK

New Delhi, the 29th November, 1994

F. No. 609/101/94-DBK/F. No. 600/2704/94-DBK.—Under Rule 3 read with Rule 4 of the Customs and Central Excise Duty Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK) published in Section (1) of the Part I of the Gazette of India Extraordinary, the Central Government hereby make the following amendments in the Ministry's Public Notice No. Drawback PN-1/94, dated the 31st May, 1994, as amended from time to time :

1. Against the sub serial No. 2704, under the column "Rate of Drawback" for the figures and words "5 per cent (Five per cent only) of f.o.b. value", the figures and words "7.5 per cent (Seven point five per cent only) of f.o.b. value subject to a maximum of Rs. 10.80 (Rupees ten and paise eighty only) per piece" shall be substituted, and in the column of Allocation, for the figures "2 per cent (Cus) and 3 per cent (C.Ex.)", the figures "2 per cent (Cus) and 5.5 per cent (C. Ex.)" shall be substituted.

2. In the note (II) under SS. No. 2704, for the figures and words "3 per cent (Three per cent only) of the f.o.b. value (All C.Ex:)", the figures and words "5.5 per cent (Five point five per cent only) of the f.o.b. value (All C.Ex.)" shall be substituted :

A. K. MADAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994